आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०–194/2021

सी०एन०टी० एक्ट की धारा–46(1)(B) अंतर्गत
श्री विनय कुमार राम – विक्रेता
प्रति
श्री कामेश्वर राम – क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री विनय कुमार राम, पिता स्व० विश्वनाथ राम, ग्राम+पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री कामेश्वर राम, पिता श्री त्रिवेणी राम, ग्राम–लवाहीकलां, पोस्ट+थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(1)(B) के अन्तर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जॉच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत् तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गढ़वा का जॉच प्रतिवेदन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक–72, दिनांक–21.02.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से मांग पंजी–II के पृष्ट सं०–22/2 पर चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही गढ़वा जिला के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते है। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शान्तिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं।

अतः अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक (विक्रेता) श्री विनय कुमार राम, पिता स्व० विश्वनाथ राम, ग्राम+पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा के द्वारा क्रेता श्री कामेश्वर राम, पिता श्री त्रिवेणी राम, ग्राम–लवाहीकलां, पोस्ट+थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
कल्याणपुर	230	12	1804	0.02	उ०–पुजा देवी, द०–विक्रेता द्वारा छोड़ा गया 4 फीट चौड़ा रास्ता, पु०–राम स्वरूप यादव, प०–विक्रेता द्वारा छोड़ा गया 8 फीट चौड़ा रास्ता
			कुल रकबा :–	0.02	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 03/03/22

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

(हस्ताक्षर) 03/03/22

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.15 15:51:36 +05:30
Location: 192.168.17.160

Scanned with CamScanner